संख्या–562/XXXVIII/2015–173 5

प्रेषक,

दीपक कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग   देहरादून: दिनांक: 2/ नवम्बर, 2015

विषयः– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्यशासी संस्था उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य को प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आपदा व्यवस्था तथा ग्राम्य विकास एवं सुदूर शिक्षा व ई–गवर्नेंस आदि के क्षेत्र में समृद्ध एवं खुशहाल बनाये जाने तथा विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं प्रभावशाली बनाये जाने के उद्देश्य से शासन की अधिसूचना संख्या 1635/XXXVIII(1)/173– वि0प्रौ0/2005 दिनांक 21.09.2005 द्वारा उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (U-SAC) का गठन किया गया एवं शासन की अधिसूचना संख्या– 411/XXXVIII(1)/06–173वि0प्रौ0/2005 दिनांक 25.07.2006, अधिसूचना संख्या–1426/XXXVIII/10–173वि0प्रौ0/2005 दिनांक 11.10.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 127(1)/XXXVIII/10–173/2005 टी.सी. दिनांक 11.03.2010 द्वारा केन्द्र की विभागीय संरचना के अन्तर्गत आयोजनागत मद में कुल 37 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में केन्द्र के उद्देश्यों के अनुरूप इसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत केन्द्र के पत्रांक संख्या–यू–सैक/मुख्या0/2014/445 दिनांक 18.12.2014 द्वारा शासन को अतिरिक्त नवीन पदों के सृजन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) की विभागीय संरचना के अन्तर्गत निम्नानुसार कुल 06 अतिरिक्त नवीन पद स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (ग्रेड पे)	स्वीकृत पद (संख्या)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
01	सिस्टम मैनेजर	रू0 15600-39100 ग्रेड पे–5400	01	सीधी भर्ती
02	डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर	रू0 9300-34800 ग्रेड पे–4600	01	सीधी भर्ती
03	फील्ड असिस्टेण्ट/जी.आई. ग्राउण्ड ट्रुथिंग	रू0 5200-20200 ग्रेड पे–2400	02	सीधी भर्ती
04	लैब अटेण्डेन्ट	–	02	आउट सोर्स

05	सुरक्षागार्ड	—	—	सुरक्षा सेवा पूर्णतया आउट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से
कुल पद			06	—

2— इस शासनादेश द्वारा सृजित किये जा रहे पदों की सेवा को विनिमित किये जाने, पदों पर भर्ती हेतु अर्हता/योग्यता निर्धारण हेतु केन्द्र द्वारा नियमानुसार प्रख्यापित सेवा नियमावली/सेवानियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। नियमावली/सेवानियम पर शासन के अनुमोदनोपरान्त केन्द्र द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार इन पदों को भरे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3— उक्त सृजित किये जा रहें पदों पर अधिसूचना संख्या 411/XXXVIII(1)/06—173वि0प्रौ0/2005 दिनांक 25.07.2006, में उल्लिखित शर्तें/व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

4— शासनादेश के कमांक—04 एवं 05 पर इंगित पदों पर आउटसोर्स के आधार पर उक्त पदों की सख्या की सीमा में ही नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—152NP/XXVII(5)/2015 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या— /XXXVIII/2015—173(वि0प्रौ0)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उपसचिव।